

वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण।

सारणी-4

| क्र.सं. | प्रपत्र का विषय                                                                                                        |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | विषय सूची मय प्रमाण-पत्र                                                                                               | 1-3   |
| 1.      | प्रतिवेदन।                                                                                                             | 4     |
| 2.      | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।                                                            |       |
| 3.      | परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।                                                                            | 9-11  |
| 4.      | सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।                                                   | 12-13 |
| 5.      | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR)।                            |       |
| 6.      | 1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र।                                                                               | 14    |
| 7.      | डिजिटल मैप व सीडी।                                                                                                     | 15-17 |
| 8.      | वैकल्पिक संरेखण तलाशें जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।                                    | 18    |
| 9.      | वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।                                           | 72    |
| 10.     | प्रस्तावित भूमि का लेण्ड शेड्यूल।                                                                                      | 19-20 |
| 11.     | परिचालन हेतु आवश्यक दस्तावेज।                                                                                          | 21    |
| 12.     | कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।                                                                                | 22    |
| 13.     | प्रस्तावित क्षेत्रों वाले वृक्षों का प्रजातिवार/मासवार विवरण एवं गुल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़। | 24    |



|     |                                                                                                                                  |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 15. | बौज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण-पत्र।                                               |       |
| 16. | वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।                                                                                      | 25    |
| 17. | न्यूनतम वृक्षों के पतन किये जाने का प्रमाण-पत्र।                                                                                 | 26    |
| 18. | परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिरसा न होने का प्रमाण-पत्र।                                              | 27    |
| 19. | परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।                                                      | 28    |
| 20. | मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)                                                   |       |
| 21. | प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।                                                                  | 34-42 |
| 22. | भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे० क्षेत्रफल से अधिक के प्रकरणों में लागू) |       |
| 23. | वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।                                                                        | 29-33 |
| 24. | परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।                                                                                  | 43-47 |
| 25. | भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।                                                                     |       |
| 26. | पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाण-पत्र।                                                      | 48    |
| 27. | मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।                                                                                           | 49-50 |
| 28. | प्रस्तावित स्थल धार्मिक/ पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।                                             | 51    |
| 29. | वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।                                                               | 52    |
| 30. | परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।                           | 53    |
| 31. | लाभान्वित होने वाले ग्रामों, जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।                                                         | 54    |
| 32. | क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन तय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)       | 55-57 |
| 33. | क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।                                                                          | 58    |
| 34. | राज्य के लोगों और रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।                                                                   | 59    |
| 35. | फाट जागे वाल वृक्षों के एकज में दस गुना                                                                                          |       |

|     |                                                                                                              |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 36. | भक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों के प्राक्कलन।                                                    | 60-68 |
| 37. | भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।                                                | 69-70 |
| 38. | एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र। | 70    |
| 39. | वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)                                                  | 71    |
| 40. | प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो, सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में।          |       |